

पक्षकारों एवं अन्य लोगों
आदि के ह.



93

न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्र. क्र. /2017 निगरानी

P 1246-PB2-17

श्री का. ली. शर्मा
श्री. राज. शर्मा
उज्जैन
2-4-17

1. शान्तिलाल पिता छोगमलजी जैन, निवासी महालक्ष्मी अपार्टमेंट उज्जैन
2. मनीष पिता महेशचन्द्र जैन, निवासी ग्राम घटिया जिला उज्जैन
3. विजय पिता अमृतलाल जैन, निवासी डॉ. शर्मा की गली जवाहर मार्ग नागदा
4. अशोक पिता बाबूलाल ब्राह्मण निवासी प्रकाश नगर नागदा जिला उज्जैन

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. भारत पिता भगवादिन जाति गडरिया पाल, निवासी ग्राम लेकोड़ा ऑजना तह. नागदा जिला उज्जैन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

बमामले प्रकरण क्रमांक 62अ-12/15-16 सीमांकन आदेश
दिनांक 15/06/2016 भारत विरुद्ध शासन से असंतुष्ट होकर
माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि -

1. यह कि अनावेदक क्रमांक 1 ने तहसीलदार महोदय टप्पा उन्हेल के प्रकरण क्रमांक 101/अ-12/2015-16 उन्हेल आदेश दिनांक 31/01/2016 के अनुसार ग्राम लेकोड़ा ऑजना में आवेदक की कृषि भूमि सर्वे न. 8/1 का सीमांकन दिनांक 14/06/2016 को किया गया तथा दिनांक 15/06/2016 को सर्वे न. 193 का सीमांकन किया गया उक्त सर्वे न. 193 सीमा से लगा हुआ आवेदकगण तथा अनावेदक की

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(93)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1246-पीबीआर/17

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. मूढ़त उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(3)</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	